न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

ठासीन अधिकारीः—अनिल कुमार चौधरी (आर0ए0एस0)

मु0न0 ता0रजू निर्णय दिनांक

09 / 2023 16.06.2023 10/06/2024

1. श्रीमति गीताबाई पत्नी जोधराज जाति मीना, उम्र 53 साल निवासी ग्राम बेहडावद तहसील बडोदा जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश

अपीलांट

बनाम

1. बरदी पत्नी स्व0 जगदीश जाति मीना, निवासी ग्राज अजीतपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान
2. सरपंच ग्राम पंचायत लहसोडा पंचायत समिति खण्डार तहसील सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान

रेस्पोडेंट

अपील धारा 75 एल0आर0एक्ट

स्थितः—

. श्री राजेश कुमार मीना प्रार्थी की और से।

:— निर्णय —:

अपीलांट ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र धारा 75 एल0आर0एक्ट0 का पेश ा जिसका विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी को उक्त आराजीयात खसरा र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित है इसलिये अपील की सुनवाई ा का पूर्ण क्षेत्राधिकार हासिल है। अपीलार्थी व रेस्पों0 तथा एक आपस में दार है। अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या एक रिश्ते में मामी लगती है एवं लार्थी भानजे की बहू लगती है। जो शुरू से ही अपने पति जोधराज के साथ अजीतपुरा में बचपन से निवास करता था। अपीलार्थी मामी सा[illegible] जगदीश पुत्र श्रीजगन्नाथ उर्फ औकार जाति मीना एक [illegible] की बुढापे में पूरी सेवा आदि देखभाल अपीलार्थी ही करती थी। अपीलार्थी के ससुर जगदीश पुत्र जगन्नाथ उर्फ औकार जाति मीना निवासी ग्राम तपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर के राजस्व सीमा में स्थित खाता र18 के खसरा नम्बर 200 रकबा 0.09 हे0 बंजड खसरा नम्बर 203 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar S
Date: 2025.09.12 14:03:24 IS
Reason: SelfAttested

2 है. चाही–2, खसरा नं० 226 रकबा 0.14 है. चाही [illegible], खसरा नम्बर 271
बा 0.15 हेतु चाही –2 खसरा नं० 273 रकबा 0.66 है। चाही 2, कुल किता
कुल रकबा 1.76 है. मे से 1/2 हिस्सा पुत्र अपीलार्थी को [illegible] की
ोर्डेड खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर मेरा ही कब्जा है
कोई औलाद नही है व द्वितीय पक्ष श्रीमति गीता बाई पत्नि [illegible]
ासी बेहडावद तहसील बडोदा जिला श्योपुर मध्य प्रदेश मेरे भानजे [illegible]
पत्नि है। इस प्रकार वह मेरे भानजे की पत्नि है । मेरा भानजा व उसकी
न ही मेरा देखभाल व सेवा करते है। गीता बाई से मैं [illegible] हूँ
प्रसन्न हूँ। मेंरी स्वेच्छा से उसी मेरी रिकॉर्डेड खातेदारी की समस्त भूमि में से
2 हिस्सा जिसे अनुसूची–ए में दर्शित की गयी है जो दान देना चाहता है।
यह सांक्ष्याकिंत करता और यदि अपना 14.5.2019 को [illegible]
े 5000–रू. पर दान पत्र स्वेच्छा से कियागया । जिसकी दान पत्र की नकल
तोद अपील के साथ संलग्न है । अपीलार्थी द्वारा दान पत्र को एक प्रति
स्व अधिकारी पटवार हल्का सेवती कलॉं को उपलब्ध करवा दी गयी थी।
ु रेस्पो त, एक व 2 ने मिलकर उक्त जमीन को हडपने की नियत से [illegible]
के से दिनांक 26.10.2020 को ग्राम पंचायत स्तर पर ही सरपंच द्वारा दान पत्र
निराधार मानकर बिना देखे जो नामन्तकरण रेस्पो0 संख्या 1 के नाम खोला
है गलत है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट
ार फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या 250 दिनांक 26/10/2020 ग्राम
यत लहसोडा सवाई माधोपुर को निरस्त फरमाया जाये।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस
ी की गयी। अप्रार्थीगण की बाबजूद तामिल होने पर उपस्थित नही होने पर
े विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रकरण में वकील अपीलांट की एक पक्षीय बहस सूनी। वकील अपीलांट ने
ी बहस में बताया है कि अपीलार्थी व रेस्पों0 तथा एक आपस में रिश्तेदार
अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या एक रिश्ते में मामी [illegible]
जे की बहू लगती है। अपीलार्थी मामी सास व मामी [illegible]
गन्नाथ उर्फ औकार जाति मीना ना–औलाद था। जिसकी [illegible]
देखभाल अपीलार्थी ही करती थी। अपीलार्थी के मामी ससुर जगदीश [illegible] त्र
नाथ उर्फ औकार जाति मीना निवासी ग्राम अजीतपुरा तहसील व जिला सवाई
पुर के राजस्व सीमा में स्थित खाता संख्या–18 के खसरा नम्बर 200 रकबा
है० बंजड खसरा नम्बर 203 रकबा 0.72 है. चाही–2, खसरा नं० 226 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar
Date: 2025.09.12 14:03:24
Reason: SelfAttested

14 है. चाही 3, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.15 हेतु चाही –2 खसरा नं० 273 रकबा 0.66 है० चाही 2, कुल किता –5 कुल रकबा 1.76 है. मे से 1/2 हिस्सा अपीलांट को दिनांक 14.5.2019 को भारतीय गैर न्यायिक रुपये 5000–रू. दान पत्र स्वेच्छा से किया गया । उक्त दान पत्र के आधार पर उक्त अराजीयात अपीलांट के नाम दर्ज की जानी चाहिऐ थी लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 ने रेस्पो० संख्या 2 से मिलकर गलत तरीके से उक्त नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया गया है। अतः उक्त नामान्तकरण खारिज योग्य है।

पत्रावली में वकील अपीलांट की एक पक्षीय बहस सूनी तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलांट उक्त प्रकरण ग्राम पंचायत हसोडा द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 250 दिनांक 26.10.2020 ग्राम अजीतपुरा को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र दर्ज करवाया गया है। अपीलांट का कथन है कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित भूमि राजस्व ग्राम अजीतपुरा के खाता संख्या 18 में अंकित कुल किता खसरा नम्बर 5 कुल रकबा 1.76 है० जगदीश पुत्र जगन्नाथ उर्फ ओंकार जाति मीना निवासी ग्राम अजीतपुरा की खातेदारी भूमि है। जगदीश पुत्र जगन्नाथ ने उक्त भूमि को दान पत्र के जरिये उक्त भूमि का 1/2 भाग अपीलांट को दे दिया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दान पत्र के आधार पर नामान्तकरण नही खोलकर रेस्पो0 संख्या 1 के नाम नामान्तकरण खोलकर उक्त भूमि का खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है। पत्रावली में संलग्न दान पत्र की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। उक्त दान पत्र 5000 रूपये के स्टाम्प पर लिखा गया है। परन्तु उक्त दान पत्र रजिस्टर्ड/पंजीकृत नही है। पंजीकृत दस्तावेजो के आधार पर ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 41 में दान/भेंट/उपहार के मामले (हिन्दू) का नामान्तकरण तस्दीक करने का स्पष्ट प्रावधान है कि :– " दान पत्र का रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। (2)–दानपत्र दाता द्वारा या उसकी और से हस्ताक्षरित होना और (3)– उसे कम से कम दो साक्षियों (गवाहों) द्वारा अनुप्रमाणित (तसदीक) किया जाना ...
प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में अपीलांट का ... ... का बताया गया एवं पत्रावली में जो आधार कार्ड की प्रति संलग्न ... उसमें पता ग्राम बेडहावद तहसील बडौदा जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) ... है। ... राजस्थान राज्य में मीना जाति अनुसूचित जन जाति में आती है। विवादित ... राजस्थान राज्य की ना होकर ... मीना जाति के सदस्य की है। अपीलांट राजस्थान राज्य की ना होकर मध्यप्रदेश की है जिसको राजस्थान राज्य में अनुसूचित जन जाति का लाभ नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar
Date: 2025.09.12 14:03:24
Reason: SelfAttested

ल सकता है। यदि उक्त विवादित आराजी अपीलांट के खातेदारी अधिकार दिये
ाते है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लघंन
गा। उक्त तथ्यो के आधार पर अपीलांट का अपील प्रार्थना पत्र सारहीन होने
कारण खारिज योग्य है।

:— कियात्मक आदेश —:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती
निर्णय आज दिनांक 10/06/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय
सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला
।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.12 14:03:24 IST
Reason: SelfAttested